<u>न्यायालयः—शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी अंजङ्</u> <u>जिला—बङ्वानी (म०प्र०)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक 710 / 2016</u> संस्थित दिनांक—28.11.2016

म.प्र. राज्य द्वारा– आरक्षी केन्द्र ठीकरी, जिला बडवानी

-अभियोगी

वि रू द्व

राजेश पिता अम्बाराम पटेल, उम्र ४५ वर्ष, निवासी टिटगारिया गौगांव क्षिप्रा के पास देवास थाना देवास, जिला—देवास (म0प्र0)

–<u>अभियुक्त</u>

राज्य तर्फे एडीपीओ अभियक्त तर्फे अभिभाषक – श्री अकरम मंसूरी ।

अभियुक्त तर्फे अभिभाषक – श्री एच०सी० बंसल ।

-: नि र्ण य :--

(आज दिनांक 27.03.2018 को घोषित)

अभियुक्त के द्वारा दिनांक 11.11.2016 को समय 10:30 बजे स्थान— बरूफाटक, बायपास ए.बी.रोड ठीकरी के पास, में वाहन बस क्रमांक एम0पी0 11 पी0 2155 को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर जुवानसिंह पिता भीमा को पीछे से टक्कर मार कर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304—ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.11.2016 को सुबह 10:30 बजे फरियादी के पिताजी जुवानसिंह पिता भीमा अपनी मोटरसाईकिल बरूफाटक के पास ससुराल जा रहे थे, वह भी पीछे—पीछे मोटरसाईकिल से जा रहा था, तभी बरूफाटक बायपास पर ठीकरी तरफ से बस कंमाक एम0पी0 11 पी0 2155 का चालक तेज गित व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और फरियादी के पिताजी को टक्कर मार दी जिससे उसके पिताजी की मृत्यु मौके पर हो गयी थी। उसके परिवार वालो को घटना बतायी थी। उसके पश्चात् फरियादी पिताजी के शव को सी.एच.सी. ठीकरी लेकर गया था, व थाने पर रिपोर्ट की थी। अभियुक्त पर प्रथम दृष्ट्या अपराध कं0 330/2016 अंतर्गत धारा 304—ए भा.द.सं. का अपराध बस कंमाक एम0पी0 11 पी0 2155 के चालक द्वारा पाया जाने से प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। नक्शा मौका बनाया गया। मर्ग जांच की गयी। पी0एम0 रिपोर्ट बनायी गयी। जप्ती पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त को धारा 41 क का सचूना पत्र दिया किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, एवं सम्पूर्ण विवेचना के उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

//2// <u>आप.प्रक.कमांक 710/2016</u> संस्थित दिनांक—28.11.2016

3. अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304—ए का अपराध विवरण पूर्व पीठासीन अधिकारी (श्रीमती वंदना राज पाण्डेय) द्वारा लगाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध से इंकार कर विचारण चाहा, उसका अभिवाक् लेख किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्त का कथन है कि, वह निर्दोष है। उसे झूठा फसाया गया है, किन्तु बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया।

4- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

1. क्या अभियुक्त राजेश ने दिनांक 11.11.2016 को समय सुबह करीब 10: 30 बजे स्थान—बरूफाटक, बायपास ए.बी. रोड ठीकरी में वाहन बस कंमाक एम0पी0 11 पी0 2155 को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर जुवानिसंह पिता भीमा को पीछे से टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष -

- 5. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में टाकुर (अ.सा.1),सुखलाल(अ. सा.2),बिहारीलाल (अ.सा.3),अशोक वर्मा (अ.सा.4), डॉ० आर.एस. तोमर (अ.सा.5), विनोद पाटिल (अ.सा.6), के कथन लेखबद्व कराए गये हैं, जबिक अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।
- 6. सर्व प्रथम यह विचार किया जाना है कि, क्या मृतक की मृत्यु दुर्ह िटना के कारण हुयी है। इस संबंध में विचार करने पर साक्षी डाँ० आर.एस. तोमर (अ.सा.5) ने अपने कथन में बताया है कि, वे दिनांक 11.11.2016 को पी.एच.सी. बरूफाटक में मेडिकल ऑफिसर के पर पद पदस्थ थे, उक्त दिनांक को पुलिस थाना ठीकरी के प्र.आरक्षक विनोद पाटिल कं० 112 के द्वारा मृतक जुवानसिंह पिता भीमा मुजाल्दे उम्र 55 वर्ष निवासी काकरिया को दुर्घटना में मृत अवस्था में लाया गया था। मृत व्यक्ति का शव परीक्षण किये जाने पर चिकित्सक के अभिमत् अनुसार जुवानसिंह पिता भीमा मुजाल्दे की मृत्यु सिर व दोनो पैर में अधिक रक्त स्त्राव हाईपोबोलिमिया, कार्डियो रेस्पेरेटरी अरेस्ट होने से हुयी थी, व एंटीमार्टम प्रकृति 12 से 24 घंटे के अंदर की थी, व एक्सीडेंटल प्रकृति की थी। उक्त साक्षी के द्वारा किया गया शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र0पी० 7 है।
- 7. साक्षी विनोद पाटिल प्र. आरक्षक (अ.सा.६) ने भी अपने कथन में मृतक की मृत्यु के संबंध में अपराध कं0 330 / 2016, अंतर्गत धारा 304—ए भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध किया था, जो प्र0पी0 1 है। थाने पर मर्ग कं0 77 / 2016 मृतक जुवानिसंह की अकाल मृत्यु के संबंध में दर्ज किया था, जो प्र0पी0 2 है। सफीना फार्म प्र0पी0 3 व लाश का पंचनामा प्र0पी0 4 एवं घटना स्थल का नक्शामौका प्र0पी0 5 बनाया गया था।
- 8. साक्षी ठाकुर (अ.सा.1) ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि, उसके पिता की मृत्यु बस के चालक के द्वारा मोटरसाईकिल को टक्कर मारने से हुयी।

जिसकी रिपोर्ट प्र0पी0 1 थाने पर लिखायी थी, और थाने पर अकाल मृत्यु की सूचना प्र0पी0 2 भी लेखबद्ध की गयी,सफीना फार्म प्र0पी0 3, लाश पंचनामा प्र0पी0 4 व घटना स्थल का नक्शामौका प्र0पी0 5 बनाया था।

- 9. साक्षी सुखलाल (अ.सा.2), बिहारीलाल (अ.सा.3) ने भी मृतक जुवानसिंह की मृत्यु के संबंध में फरियादी ठाकुर (अ.सा.1) के कथनों का समर्थन किया है। उक्त सभी साक्षियों ने जुवानसिंह की मृत्यु के संबंध में दिये गये कथनों में बचाव पक्ष द्वारा कोई चुनौती नही दी है। साक्षीगण के कथन व चिकित्सक अभिमत के अनुसार मृतक जुवानसिंह की मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई इसमें कोई संदेह नही है। अतः अभियोजन ने यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया है कि घटना दिनांक स्थान पर मृतक जुवानसिंह की मृत्यु दुर्घटना के फलस्वरूप हुई है।
- 10. अब यह विचार किया जाना है कि, क्या मृतक जुवानसिंह की मृत्यु अभियुक्त राजेश के द्वारा उपेक्षा व लापरवाही पूर्वक से वाहन चलाये जाने का प्रत्यक्ष परिणाम है। इस संबंध में विचार करने पर बचाव पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंतिम तर्क के दौरान मु रूप से यह प्रतिरक्षा ली गयी कि, अभियुक्त के द्वारा उपेक्षा या उतावलेपन से वाहन चलाकर घटना कारित नहीं की है। अभियुक्त की पहचान भी संदिग्ध है। चक्षुदर्शी साक्षियों के द्वारा भी अभियुक्त वाहन चालक की पहचान के संबंध में कोई कथन नहीं किये है। अतः अभियुक्त के द्वारा धाटना कारित नहीं होना बताया है।
- 11. अभियोजन पक्ष के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया है कि, अभियुक्त के द्वारा ही उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन चलाया जा रहा था। साक्षियों के द्वारा स्पष्ट रूप से कथन में यह बताया है कि,अभियुक्त के द्वारा ही दुर्घटना कारित कर जुवानसिंह की मृत्यु कारित की।
- 12. उपरोक्त तर्क व प्रकरण में आयी साक्ष्य के आधार पर विवेचना की जा रही है। चक्षुदर्शी साक्षी ठाकुर अ.सा.01 जो कि मृतक का पुत्र है, उसने घटना उसके सामने होने से इंकार किया है। उक्त साक्षी को घटना की बात गाँव के सरपंच द्वारा बताई गई है। उक्त साक्षी ने अभियोजन कहानी का समर्थन नही किया है। उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्नों की अनुमित चाही गई थी, जिसे न्यायालय द्वारा विचारोपरांत प्रदान की गई थी। अभियोजन द्वारा उक्त प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने प्र. पी.01 की रिपोर्ट में व पुलिस कथन प्र.पी.06 में आरोपी के द्वारा उपेक्षा पूर्वक लापरवाही पूर्वक व तेजी से वाहन चलाये जाने की बात को पुलिस को बताने से इंकार किया है।
- 13. साक्षी सुखलाल अ.सा.02 एवं बिहारीलाल अ.सा.03 चक्षुदर्शी साक्षी नही है। अतः किसी भी साक्षी ने आरोपी के द्वारा ही उपेक्षा पूर्वक एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाये जाने के संबंध में लेशमात्र भी कथन नहीं दिये हैं। अतः जुवानसिंह की मृत्यु दुध् दिना में हुई किन्तु आरोपी के द्वारा उपेक्षा पूर्वक व लापरवाही पूर्वक व तेजी से वाहन चलाये जाने संबंध में कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। अनुसंधान कर्ता अधिकारी विनोद पाटिल (अ.सा.6) ने घटना के पश्चात् प्रकरण का अनुसंधान किया है, एव अशोक वर्मा (अ.सा.4) ने वाहन कं0 एम0पी0 11 पी0 2155 का यांत्रिकीय परीक्षण किया है। दोनो ही साक्षीगण के कथनों के आधार पर चक्षुदर्शी साक्षी के साक्ष्य के अभाव से

अभियुक्त के विरूद्ध दोषसिद्धि के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है और इस कारण अभियुक्त दोषमुक्ती का पात्र हो गया है।

- 14. उक्त साक्षीगण के कथनों से यह दर्शित है कि, उन्होंने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- 15. इस प्रकार चक्षुदर्शी साक्षी ठाकुर (अ.सा.1) ने अभियुक्त को पहचाने जाने संबंधी साक्ष्य नहीं दी है व उक्त साक्षी द्वारा व अन्य साक्षियों ने भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है,अतः उक्त साक्षियों के कथनों से यह स्पष्ट है कि, मृतक जुवानिसंह की मृत्यु अभियुक्त राजेश के द्वारा उपेक्षा व लापरवाहीपूर्वक से वाहन चलाये जाने का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि के संबंध में कोई भी निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है,और उसे उक्त अपराध या किसी अन्य अपराध के लिये दोषसिद्ध भी नहीं ठहराया जा सकता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत जवाहरलाल विरुद्ध म०प्र० राज्य 238 एम०पी० विकली नोट्स 1994—(II) तथा न्यायदृष्टांत राम दयाल् विरुद्ध म०प्र० राज्य 1993 एम०पी०एल०जे० अवलोकनीय है। उक्त न्यायदृष्टांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि, यदि वाहन चालक की पहचान सुनिश्चित नहीं होती है,तब दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं की जा सकती है।
- 16. उपरोक्त समग्र विवेचना व उभय पक्षों के तर्क से यह प्रमाणित नहीं होता है कि, अभियुक्त राजेश ने दिनांक 11.11.2016 को समय 10:30 बजे स्थान बरूफाटक पायपास ए०बी०रोड ठीकरी में वाहन बस क्रमांक एम.पी. 11 पी. 2155 को उपेक्षा पूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर जीवन संकटापन्न होना संभाव्य बनाकर जुवानिसंह को टक्कर मार कर उसकी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।
- 17. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आलोक् में अभियुक्त के विरूद्ध निर्णय के चरण कं0 4 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न को अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतएव् अभियुक्त को धारा 304-ए भा0द0सं0 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
- 18. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।
- **19.** अभियुक्त के अभिरक्षा में रहने के संबंध में द0प्र0सं0 की धारा 428 के तहत प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 20. जप्तशुदा सम्पत्ति वाहन बस क्रमांक एम.पी. 11 पी. 2155 पूर्व से पंजीकृत स्वामी कालीचरण पिता रमेशचंद्र की सुपुर्दगी पर है उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधी पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

सही / –

सही / –

(शरद जोशी) न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी अंजड़ जिला बड़वानी म.प्र.

(शरद जोशी) न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी अंजड़ जिला बड़वानी म.प्र.